

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी अम्बेडकरनगर

पत्रांक 5383

/ J.S.M. / 473

दिनांक 08-07-2026

जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा बैठक की कार्यवृत्ति-

मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 03/07/2026 को विकास भवन कार्यालय में जल जीवन मिशन के कार्यों के प्रगति की सप्ताहिक समीक्षा बैठक की गयी। जिसमें निम्न लिखित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्रतिभाग किया गया।

1. श्री नितेन्द्र पाण्डेय- सहायक अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण)
2. श्री सी०पी० सिंह-जिला समन्वयक (DPMU)
3. श्री पवन त्रिपाठी-DPM (TPIA)
4. श्री सत्येन्द्र तिवारी-PM (मेमर्स विन्ध्य टेली लिंक गाजा जेबी)
5. श्री नवनीत सिंह-AM (मेमर्स वेलस्पन कावेरी जेबी)
6. श्री अनुराग कोटिया DTL-TPIA मेधाजा

समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों एवं मेमर्स विन्ध्य टेली लिंक गाजा जेबी व मेमर्स वेलस्पन कावेरी जेबी के प्रो० मैनेजर को निम्न निर्देश दिये गये -

1. दोनों फर्म द्वारा 90% से ऊपर प्रगति वाली पेयजल योजनाओं में 30 पेयजल योजनाओं को माह जून 2026 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसके सापेक्ष दोनों फर्म द्वारा मात्र 19 पेयजल योजनाओं के कार्य को पूर्ण किया गया एवं अवशेष 11 योजनाओं को माह जुलाई के लक्ष्य 26 पेयजल योजनाओं को सम्मिलित करते हुए कुल 37 पेयजल योजनाओं के कार्य को पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
2. दोनों फर्म शिरोपरि जलाशय के निर्माण हेतु प्रस्तुत किये गये पर्टिचार्ट के अनुरूप कार्य कराया जाना सुनिश्चित करें।
3. गत समीक्षा बैठक दिनांक 09.06.2026 में उल्लिखित किये गये शेष 53 एन.सी. जिनका निस्तारण 15 दिन के अन्दर किया जाना था जिसके सापेक्ष में दोनों फर्म द्वारा मात्र 21 एन.सी. का निस्तारण किया गया है। टी.पी.आई.ए. एवं दोनों फर्मों को निर्देशित किया जाता है कि शेष 32 एन.सी. का गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण यथाशीघ्र कराया जाना सुनिश्चित करें।
4. IGRS, CM हेल्पलाइन एवं JJM पोर्टल से प्राप्त होने वाली शिकायतों का निस्तारण दोनों फर्म गुणवत्तापूर्ण एवं ससमय पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।
5. दोनों TPIA को गत समीक्षा बैठक में निर्देशित किया गया था कि वह अपने-अपने क्षेत्र की रोड़ रेस्टोरेशन की स्थिति की जाँच करके रिपोर्ट विवरण सहित प्रस्तुत करें परन्तु उक्त निर्देश के उपरान्त भी दोनों टी.पी.आई.ए. द्वारा सन्तोषजनक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया। ऐसी स्थिति में अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया जाता है कि दोनों टी.पी.आई.ए. को अधोहस्ताक्षरी के माध्यम से नोटिस निर्गत कराये तथा दोनों टी.पी.आई.ए. अग्रिम अयोजित होने वाली समीक्षा बैठक में रोड़ रेस्टोरेशन के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश के क्रम में विवरण सहित बैठक में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देश के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

(आनन्द कुमार शुक्ला)

मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
अम्बेडकरनगर
दिनांक

पत्रांक

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- अधिशासी निदेशक राज्य पेय जल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ।
- 2- जिलाधिकारी महोदय अम्बेडकरनगर।
- 3- अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) अम्बेडकरनगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 4- दोनों टी.पी.आई.ए. को समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देश का अनुपालन किये जाने हेतु।
- 5- दोनों फर्म वेलस्पन एवं VTL कम्पनी अम्बेडकरनगर को अनुपालनार्थ हेतु प्रेषित।

मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
अम्बेडकरनगर